राजस्व वाद संख्या:– 155/2020
GCMS NO- 2020/00324
निर्मला देवी बनाम शेरसिंह आदि
निर्णय दिनांक:– 16/9/22

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी –

सुनिल कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 155/2020

GCMS NO- 2020/00324

निर्मला देवी पत्नी नन्दलाल जाति अहीर निवासी रायपुर अहीरान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

......आवेदिका

ब–ना–म

1. शेर सिंह पुत्र प्रहलाद
2. सतवीर पुत्र चन्द्रभान
3. कमलादेवी पत्नी विरेन्द्र सिंह
4. रेखा देवी पत्नी सतीश कुमार समस्त जाति अहीर निवासी रायपुर अहीरान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

......अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: निर्णय :: दिनांक 16-09–2022

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम रायपुर अहीरान तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.नं. 1074 रकबा 0.40 है. की आवेदिका खातेदार काश्तकार है जिसमें आने जाने के लिए तथा फसल से उत्पन्न अनाज को घर या मण्डी में ले जाने हेतु ट्रेक्टर आदि ले जाने हेतु रास्त नहीं है जिस कारण आवेदिका को भारी परेशानी हो रही है। आवेदिका के खेत ख.नं. 1074 के दक्षिणी ओर से गैर मुमकीन रास्ता ख.नं. 1184 जाता है उक्त रास्ता व आवेदिका के खेत ख.नं. 1074 के मध्य अनावेदक सं. 1 लगा. 4 की खातेदारी भूमि व चाह की भूमि लगती है जहां से आवेदिका के खेत ख.नं. 1074 को गैर मुमकीन रास्ता ख.नं. 1184 से सबसे कम दुरी लगती है। गैर मुमकीन रास्ता ख.नं. 1184 से ख.नं. 1257/1074 की पश्चिमी मेड के साथ तथा ख.नं. 1074, 1072, 1073 की पूर्वी मेड के मध्य से आवेदिका के खेत ख.नं. 1074 के लिए 15 फीट चौड़ाई में रास्ता तय किया जाता है तो वह सबसे [illegible] का रास्ता है। आवेदिका न्यायालय के आदेशानुसार नियमानुसार निर्धारित शर्त [illegible] देने [illegible] तैयार है या अन्य शर्तो जिसके लिए न्यायालय आदेश पारित करे की पालना करने [illegible] तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम रायपुर अहीरान तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.नं. 1074 में आने जाने तथा फसल के उत्पादन हेतु ट्रेक्टर आदि ले जाने हेतु 15 फीट चौड़ाई में ख.नं. 1257/1074 व ख.नं. 1071, 1072, 1073 के मध्य से कायम किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chauhan
Date: 2022.11.23 16:23:34 IST
Reason: Self Attested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार, बुहाना से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, बुहाना ने जरिये पत्र क्रमांक: भू.अ./2022/543 दिनांक 03.03.2022 से बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो निम्नानुसार है कि :–

1. आवेदित रास्ते की आवश्यकता जो के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिये है तथा आवेदिका का परिवार ख.नं. 1074 व आस पास स्थित अपने अन्य खेतों में मकान बनाकर निवास नहीं करता है। इनके परिवार निवास रायपुर अहिरान में करते हैं।
2. ख.नं. 1072 रकबा 0.01 है. मौके पर कुआ था जो बुरकर नलकुप बोरवैल बना दिया है ख.नं. 1071 रकबा 0.05 है. में खातेदार शेरसिंह पुत्र प्रहलाद जाति अहीर के तीन पुत्र मकानात बनाकर निवास करते हैं। ख.नं. 1257/1074 रकबा 0.32 है. के खातेदार कमला देवी पत्नी विरेन्द्र सिंह व रेखा देवी पत्नी सतीश कुमार जो शेरसिंह की पुत्रवधु है के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा उक्त ख.नं. के पिश्चमी मेड के सहारे करीब 0.02 है. में मकान व कुण्ड निर्माण किया हुआ है।
3. ख.नं. 1184 गै.मु. रास्ता (सड़क बुहाना से हरि0 सीमा तक) दर्ज रिकार्ड है जो ग्राम ढाणी रायपुर अहिरान की सीमा में स्थित है तथा रायपुर अहिरान की सीमा से सटकर गुजरता है।
4. ख.नं. 1257/1074 की दक्षिणी मेड के सहारे आम रास्ता ख.नं. 1184 सटकर है तथा उक्त खेत के रास्ते की सीमा पर दीवार व दक्षिणी पूर्वी कौने पर टीन शैड बनाई हुई है। शेष भाग में मकान व काश्त है, तारबाड़ लगी है।
5. ख.नं. 1073 रकबा 0.40 है. खातेदार सतबीर पुत्र चन्द्रभान जाति अहीर के नाम दर्ज रिकार्ड है जो ख.नं. 1074 के पश्चिम में सटकर स्थित है। जिनमें फसल काश्त है। ख.नं. 1073 आम रास्ता ख.नं. 1181 से लगता है रास्ता से लगते हुए दक्षिणी पश्चिमी कौने पर दीवार बनी हुई है।
6. चूंकि आवेदिका अपने खेत ख.नं. 1074 में आने जाने हेतु रास्ता चाहा है जो ख.नं. 1073 में से करीब चार मीटर चौड़ाई व 45 मीटर लम्बाई में दक्षिणी मेड़ के सहोर–सहारे दिया जा सकता है।
7. वर्तमान परिरिस्थितियों में आवेदिका के ख.नं. 1074 से आम रास्ता (सड़क) ख.नं. 1184 तक निकटतम रास्ता ख.नं. 1073 से ही लिया जाना सम्भव है।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, बुहाना दिनांक 03.03.2022 का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार, बुहाना की [illegible] दिनांक 03.03.2022 के पुश्त पर अंकित नजरी नक्शा में स्पष्ट किया है कि [illegible] के प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। प्रस्तावित रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित [illegible]–"ए से बी") के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीया को खसरा नंबर 1074 में पहुंचने हेतु खसरा नंबर 1073 में से प्रस्ता[illegible] (नजरी नक्शे में मार्क–"ए से बी" नीली स्याही से) मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 180 वर्गमीटर बनता है। प्रार्थीया के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 1074 में आने–जाने

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:23:34 IST
Reason: SelfAttested

के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। इस प्रकार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानों की पूर्ति करता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, बुहाना दिनांक 03.03.2022 के प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रायपुर अहिरान तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नंबर 1074 रकबा 0.40 है. में जाने के लिए आम रास्ता (सड़क) ख.नं. 1184 से अप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी भूमि ख.नं. 1073 रकबा 0.40 है. में से 45x4 = 180 वर्गमीटर पुख्ता आम रास्ता ख.नं. 1074 तक नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) में अंकितानुसार मार्क–''ए से बी'' कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि पक्षकारान प्रतिकार की रकम पर आपस में सहमत नहीं हुए है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से 180 वर्गमीटर भूमि की दुगुनी राशि प्रार्थीया तहसीलदार, बुहाना के समक्ष जमा करवायेंगे। तहसीलदार, बुहाना खसरा नंबर 1073 के खातेदार/अप्रार्थी को प्रतिकार की नियमानुसार अदा करेंगें। तद्नुसार भूमि खसरा नंबर 1073 के रकबे में से रास्ते की बाबत 180 वर्गमीटर भूमि निर्वापित कर राजस्व रिकार्ड में किस्म ''गैर मुमकीन रास्ता'' के रूप में राजकीय खाते में अभिलिखित करेंगे। रहन यदि कोई हो तो रास्ते में जाने वाले रकबे का रहन मुक्त रखा जावे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 16/9/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:23:34 IST
Reason: SelfAttested